

मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्र./541/26-2/2013/

भोपाल, दिनांक 16.04.2013

१९-५-१३

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश
2. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश
3. समस्त आयुक्त
नगर निगम, मध्य प्रदेश
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, मध्य प्रदेश
5. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक
सामाजिक न्याय, मध्य प्रदेश
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत, मध्य प्रदेश
7. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका/नगर परिषद, मध्य प्रदेश

विषय: राष्ट्रीय परिवार सहायता (NFBS) में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ:- लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24.09.2011 में शामिल सेवा क्रमांक 7.5

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदाय की जाती है। योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय द्वारा किया जा रहा है।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन के समसंख्यक क्रमांक/जे-11015/1/2012/एनएसएपी दिनांक 8 नवम्बर 2012 के द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में आयु सीमा एवं आर्थिक सहायता राशि के मापदण्डों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :-

NFBS-16-04-13/1

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (NFBS)

1. पात्रता के मापदण्ड—

- मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 59 वर्ष से कम होना अनिवार्य है।
- मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो।
- मृतक गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार का सदस्य होना चाहिए।

2. सहायता राशि

- राशि रु. 20,000/- एकमुश्त की आर्थिक सहायता (केन्द्रांश मद से) प्रदान करना।

3. आवश्यक दस्तावेज

3.1 आयु के लिए निम्नलिखित में से कोई एक

- स्कूल का प्रमाणपत्र/अंकसूची
- जन्म प्रमाण पत्र
- मतदाता सूची
- मतदाता फोटो परिचय पत्र (EPIC)

3.2 मृत्यु का प्रमाणपत्र।

3.3 दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में पुलिस में दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट।

4. आवेदन पत्र

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-1

5. स्वीकृति हेतु प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्र	अधिकारी	समयावधि
(1)	(2)	(3)
ग्रामीण क्षेत्र के लिए	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस
नगरीय क्षेत्र के लिए	आयुक्त, नगर निगम मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद	30 कार्य दिवस

6. अपीलीय अधिकारी

क्षेत्र	प्रथम अपीलीय अधिकारी	समयावधि	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	समयावधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस
नगरीय क्षेत्र के लिए				

आयुक्त, नगर निगम	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त	30 कार्य दिवस
मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस

7. स्वीकृत करने की प्रक्रिया


7.1 ग्रामीण क्षेत्र -

- 7.1.1 आवेदक द्वारा इस सेवा हेतु आवेदन पदाभिहित अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत) को प्रस्तुत किया जावेगा।
- 7.1.2 आवेदन पर ग्राम पंचायत से आवश्यक प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा।
- 7.1.3 प्रचलित प्रक्रिया अनुसार यदि इस सेवा के आवेदन पंचायत सचिव समक्ष ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किये जाते हैं तो पंचायत द्वारा अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत) को स्वीकृति हेतु भेजा जावेगा। ऐसे प्रकरणों में समय-सीमा आवेदन के पदाभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने दिनांक से लागू होगी।
- 7.1.4 प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा।
- 7.1.5 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (NFBS) की पात्रता होने की स्थिति में राशि का भुगतान स्वीकृति आदेश के साथ ही होगा।


7.2 नगरीय क्षेत्र

- 7.2.1 आवेदन पदाभिहित अधिकारी के रूप में आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद को प्रस्तुत किया जावेगा, उसकी तत्काल पावती संबंधित द्वारा दी जायेगी।
 - 7.2.2 आवेदन पर किसी अधीनस्थ से आवश्यक जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा।
 - 7.2.3 प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा।
 - 7.2.4 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (NFBS) की पात्रता होने की स्थिति में राशि का भुगतान स्वीकृति आदेश के साथ ही होगा।
8. आवेदक को उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही उसे अभिस्वीकृति प्रदाय की जावेगी। अभिस्वीकृति का प्रारूप संलग्न है। (परिशिष्ट-2)
 9. अधिसूचित सेवाओं के आवेदन पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम-6 में निर्धारित पंजीयन का संधारण किया जाना चाहिए। एक ही आवेदन को पृथक-पृथक पंजीयों में इन्द्राज करना आवश्यक नहीं होगा। (परिशिष्ट-3)
 10. आवेदन पत्र लेते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर का उल्लेख भी कराया जावे ताकि आवश्यकतानुसार उसे एसएमएस अलर्ट किया जा सके।

यह आदेश दिनांक 01.04.2013 से प्रभावशील होगा।


(व्ही0के0 बाथम)
सचिव

म.प्र. शासन
सामाजिक न्याय विभाग




पृ.क्र.541/26-2/2013/
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 16.04.2013

25-4-13

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय विभाग म0प्र0 भोपाल
4. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
5. आयुक्त, सामाजिक न्याय, म0प्र0 भोपाल
6. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म0प्र0 भोपाल
7. आयुक्त, पंचायतीराज संचालनालय, म0प्र0 भोपाल



उप सचिव

म.प्र. शासन

सामाजिक न्याय विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग

आवेदक
का
फोटोग्राफ

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत जिला
2. आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद्
जिला

विषय:- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदाय करने बाबत ।

आवेदक का समग्र कोड क्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

आवेदक का बीपीएल कार्ड क्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. आवेदक का नाम

.....

2. पिता/पति का नाम

.....

3. जाति वर्ग

--

एससी	एसटी	ओबीसी	सामान्य	अल्प संख्यक
------	------	-------	---------	-------------

4. आवेदक की जन्म तिथि

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

5. मृतक का नाम

.....

6. मृतक की आयु

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

7. मृतक की मृत्यु का दिनांक

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

8. मृतक की मृत्यु का कारण

.....

9. मृतक की मृत्यु का स्थान

.....

10. आवेदक का मृतक से रिश्ता

.....

11. मृतक के परिवार के आश्रित सदस्यों की जानकारी

क्रं.	नाम	संबंध	आयु	व्यवसाय	मासिक आमदनी
1					
2					
3					
4					
5					
6					

12. आवेदक के मूल निवास स्थान का पूर्ण पता

13. आवेदक के वर्तमान निवास स्थान का पूर्ण पता

14. दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में क्या पुलिस थाने में सूचना दी गई है, यदि हां तो पुलिस थाने का नाम

15. आवेदक का बचत खाता

आवेदक/खाताधारक का नाम	बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम व पता	बचत खाता क्रमांक	IFSC कोड

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

:: घोषणा पत्र ::

मैं कुमारी / श्री / श्रीमती पिता / पति.....
निवासी सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि ऊपर बताई
गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही है । यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जाने पर
मुझे प्रदाय की गई आर्थिक सहायता राशि शासन द्वारा मुझसे वसूली की जा सकती है ।

14. संलग्न दस्तावेज का विवरण

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप 1
(भाग - एक)

ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय के वार्ड मेम्बर या अधिकृत अधिकारी द्वारा परिवार की आय व नये मुखिया के बारे में तस्दीक/जांच

प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय कुमारी/श्री/श्रीमती
पिता/पति..... आयु निवासी
.....ग्राम/नगरीय वार्ड क्रमांक की मृत्यु दिनांक
..... कोकारणों से हुई।

2. मृतक का परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सर्वे सूची क्रमांक पर अंकित है या
मेरे द्वारा स्वयं की गई जांच के आधार पर प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि समस्त स्रोतों से मृतक के परिवार की वार्षिक आय लगभग रुपये प्रतिवर्ष थी तथा उसका परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है ।
3. स्वर्गीय कुमारी/श्री/श्रीमतीकी मृत्यु अप्राकृतिक रूप से दुर्घटनावश हुई है तथा इस संबंध में पुलिस थाना में प्रकरण क्रमांक दर्ज हुआ है ।
4. कुमारी/श्री/श्रीमती जो कि मृतक का/की है (संबंध बतायें) को आर्थिक सहायता दिये जाने की अनुशंसा की जाती है, क्योंकि अब वे ही परिवार के मुखिया के रूप में इस परिवार की देखरेख व पालन पोषण करेंगे/करेंगी ।

दिनांक

हस्ताक्षर
सरपंच/पंच/सचिव, ग्राम पंचायत
नगर निकाय के संबंधित
वार्ड मेम्बर या अधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर तथा सील

// सत्यापन //

कार्यालय जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/ नगर परिषद

..... जिला.....म.प्र.

क्रमांक.....

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है, कि कुमारी/श्री/श्रीमती
पिता/पतिनिवासी ग्राम/नगर.....
तहसील/विकासखण्ड.....जिला.....द्वारा
जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद् जिला
..... को प्रस्तुत राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के आवेदन पत्र का परीक्षण
मेरे द्वारा किया गया है।

परीक्षण उपरांत निम्न कारणों से आवेदक को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत/अस्वीकृत
किये जाने की अनुशंसा की जाती है :-

1. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में निर्धारित पात्रता के मापदण्डों की पूर्ति होने के कारण आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किए जाने की अनुशंसा की जाती है।
2. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में निर्धारित पात्रता के मापदण्डों की पूर्ति न होने के कारण आवेदन पत्र निरस्त किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

गवाह (नाम एवं हस्ताक्षर) :-

1.

2.

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर
जनपद पंचायत/नगर निगम/
नगर पालिका/नगर परिषद् द्वारा अधिकृत
अधिकारी

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 5 (1) के अंतर्गत
अभिस्वीकृति का प्रारूप

- पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम एवं पता — _____

1. आवेदक का नाम एवं पता — _____

2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति का दिनांक — _____
3. सेवा का नाम जिसके लिये आवेदन दिया गया है — _____
- उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं किन्तु आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये हैं — _____

4. निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख — _____

स्थान.....
दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)

नोट:- आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु-4 में उल्लेखित आखिरी तारीख नहीं दी जायेगी।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 16 के अंतर्गत

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम

माह वर्ष

क्रमांक (1)	आवेदक का नाम एवं पता (2)	सेवा जिसके लिये आवेदन दिया गया है (3)	निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख (4)	आवेदन स्वीकृत/ निरस्त (5)	पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण (6)